

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2022—कार्तिक 6, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास रांझी, जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजस्व प्र. क्र. 0689—बी—121—2022—23

जबलपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2022

प्रारूप - 4

सूचना - पत्र (नियम 5) (1 देखिये) जारी दिनांक 13/10/2022

(म.प्र. लोकन्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (2) एवं म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम 5. (1) के अंतर्गत)

चूंकि श्री राजकुमार मोगरे पिता अमृत दास, गोदालाल केवट पिता मनीराम केवट, पंचमदास पिता अमृतदास, राशि केवट पति राजकुमार मोगरे, सोनू खातरकर पिता भीमराव, यश राज सिंह परिहार, अंकित मोगरे पिता कोमल दास मोगरे निवासी ग्राम डोंगरिया खुर्द पोस्ट बहेरा बंध तहसील कोतमा थाना बिनोरी जिला अनूपुर म.प्र. के द्वारा " निधनोत्थान जन सेवा फाउंडेशन जबलपुर 375/ए साउथ सिविल लाईन जबलपुर म.प्र. " के पंजीयन हेतु म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 02/11/2021 को विचार के लिए नियत किया गया है। कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम :- निधनोत्थान जन सेवा फाउंडेशन जबलपुर 375/ए साउथ सिविल लाईन जबलपुर म.प्र.
2. चल संपत्ति :- नहीं है।
3. अचल संपत्ति :- नहीं है।

(G-1791)

ऋषभ जैन, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट रतलाम (शहर), मध्यप्रदेश

क्र. 0001-बी-113(1)-2022-23 क्र. 132-आर-1-22

रतलाम, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

(फार्म-4 नियम 5 (1) देखिये)

—:: म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 (2) के तहत ::—

आवेदक श्री सुनिल पिता श्री पुनमचंद्र कोठारी अध्यक्ष श्री साधुमार्गी जैन संघ रतलाम का मिती मगसरवदी 1 (एकम) का साधार्मिक स्नेह भोज ट्रस्ट रतलाम जिला रतलाम म.प्र. द्वारा म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 नियम 2 के अन्तर्गत "श्री साधुमार्गी जैन संघ रतलाम का मिती मगसरवदी 1 (एकम) का साधार्मिक स्नेह भोज ट्रस्ट रतलाम जिला रतलाम" के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 11.11.2022 को की जावेगी ।

2/ अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 11.11.2022 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं । नियत अवधी पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

-- पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण --

न्यास का पूरा नाम	"श्री साधुमार्गी जैन संघ रतलाम का मिती मगसरवदी 1 (एकम) का साधार्मिक स्नेह भोज ट्रस्ट " पता- समता भवन, नौलाईपुरा रतलाम जिला रतलाम म.प्र. ।
अचल सम्पत्ति	निरंक
चल सम्पत्ति	रु. 11819/-खाता क्रमांक 03131131001509 पंजाब नेशनल बैंक

(G-1792)

संजीव केशव पाण्डेय, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास जूनी क्षेत्र इंदौर,
जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
(कलेक्टोरेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 204 जिला इंदौर मध्यप्रदेश)

क्र. 938-रीडर-1-22

जूनी, इंदौर, दिनांक 10 अक्टूबर 2022

विज्ञप्ति (फार्म चार)मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) वमध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत.

जे. एम. सी. फाउंडेशन पता-जी-7, शिवम काम्पलेक्स, प्रथम मंजिल, 578, एम. जी. रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं । निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

जे. एम. सी. फाउंडेशन पता-जी-7, शिवम काम्पलेक्स, प्रथम मंजिल, 578, एम. जी. रोड, इन्दौर

अचल संपत्ति :- निरंक ।

चल संपत्ति :- 1,01,000/-।

आज दिनांक 10/10/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

(G-1793)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, सागर, तहसील एवं जिला
सागर, मध्यप्रदेश

क्र. 1872-रीडर-3-अ.वि.अ.-2021

सागर, दिनांक 23 अगस्त 2022

**न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी सागर,
म0प्र0 प्रारूप चार नियम 5 (1) देखिए**

मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1952 का नियम 5 (1) देखिए।

चूंकि श्री सिद्ध क्षेत्र श्री देव हनुमान जी मंदिर गढपहरा धाम सागर जिला सागर
म0प्र0 प्रबंध समिति गढपहरा धाम सागर द्वारा अध्यक्ष श्री अशोक सिंह बामोरा पिता
श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बामोरा तहसील व जिला सागर ने म0प्र0 लोक न्यास
अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोकन्यास की
तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, एतद द्वारा यह
सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23.08.2022 को विचार के
लिए लिया गया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता है और उसके बारे में कोई
आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है
और उसका गठन करती है।

अतः मैं सपना त्रिपाठी अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर का लोक
न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 23.08.2022 को उक्त अधिनियम की
धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या उक्त संपत्ति का कोई
न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना
के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत
करना और कोई मैं मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक
अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात
उक्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

न्यास की संपत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता

न्यास का नाम:- श्री सिद्ध क्षेत्र श्री देव हनुमान जी मंदिर गढपहरा धाम सागर ट्रस्ट
गढपहरा धाम सागर म0प्र0 तहसील व जिला सागर
चल/अचल संपत्ति के ब्यौरे

अनुसूची क्रमांक-2

- 1- मुख्य मंदिर श्री देव हनुमान की मंदिर गढपहरा धाम प्राचीन मूर्ती/मंदिर
- 2- मुख्य प्राचीन भव्य मंदिर
- 3- दो सीड़ियों वाले मार्ग जो नीचे से लगातार मुख्य मंदिर तक जिसमें एक पर
टीनसेट से डका हुआ मार्ग।
- 4- मंदिर का कबर केम्पस स्टील-एवं लोहे की रेलिंग से।
- 5- बादयंत्र अखाडा सामाग्री।

अनुसूची क्रमांक-3

- 1- मंदिर अनगढ़ देवी माता मंदिर-1
- 2- मंदिर हरसिद्धी माता मंदिर-1
- 3- मंदिर नीचे हनुमान जी मंदिर-1
- 4- मंदिर शिवजी मंदिर-1

अनुसूची क्रमांक-4

मंदिर की स्थाई/अचल सम्पत्तियाँ

- 1- मोतीताल-1
- 2- बावड़ी-1
- 3- मेला परिसर क्षेत्र-1
- 4- सुलभ शौचालय-1
- 5- नलकूप-1
- 6- धर्मशाला-6 (छोटी बडी)
- 7- अन्य प्राचीन इमारतें

अनुसूची क्रमांक-5

मंदिर की अन्य चल सम्पत्तियाँ का व्यौरा

- 1- हवन/पूजन सामग्री
- 2- श्री देव हनुमान जी मंदिर की मूर्ति की पोशाक
- 3- दानपेटी
- 4- दीवाल घड़ी
- 5- पंखा
- 6- गरुण जी
- 7- सी0एफ0एल
- 8- ताला वगै.

रा0प्र0क0 / बी-113 वर्ष 2021-22
मौजा गढपहरा धाम सागर
तहसील व जिला सागर

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक सिंह बामोरा पिता महेन्द्र सिंह अध्यक्ष निवासी बामोरा सागर तहसील व जिला सागर द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर म0प्र0 सिद्ध क्षेत्र श्री देव हनुमान जी मंदिर गढपहरा धाम समिति सागर के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम पते निम्नानुसार है।

क्र	नाम	पद/प्रबंधक	न्यासी
1	अशोक सिंह बामोरा पिता महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बामोरा थाना बहेरिया तहसील व जिला सागर	अध्यक्ष	ट्रस्टी
2	विनोद विश्वकर्मा पिता रामदास विश्वकर्मा निवासी ग्राम बहेरिया साहनी थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	सचिव	ट्रस्टी
3	अनिल वैद्य पिता शिवचरण वैद्य निवासी ग्राम मसवासी बहेरिया थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	सहसचिव	ट्रस्टी
4	मनीष यादव पिता नंदकिशोर यादव निवासी ग्राम कुडारी थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	उपाध्याय	ट्रस्टी
5	जयकुमार यादव पिता स्व. माखनलाल यादव निवासी 2/30 सदर बाजार सागर थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	उपाध्याय	ट्रस्टी
6	अजय यादव पिता बद्री यादव निवासी ग्राम रिछोडा थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	कोषाध्यक्ष	ट्रस्टी
7	सोनू यादव पिता लाल साहब निवासी ग्राम गढपहरा मुहाल थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	सहकोषाध्यक्ष	ट्रस्टी
8	जीवन सिंह पिता हुकुम सिंह यादव निवासी ग्राम भोजपुरा थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	कार्य. अध्यक्ष	ट्रस्टी
9	हीरा यादव पिता कुंजीलाल यादव निवासी ग्राम रानीपुरा थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	सदस्य	ट्रस्टी
10	महेन्द्र यादव पिता रामचरण यादव निवासी ग्राम गढौली कलौ थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	सदस्य	ट्रस्टी
11	राजकिशोर सिंह पिता रामसींग ठाकुर निवासी ग्राम सुमरेडी थाना राहतगढ तहसील राहतगढ जिला सागर	सदस्य	ट्रस्टी
12	हरदास कुर्मी पिता श्याम लाल कुर्मी निवासी ग्राम रूपऊ थाना नरयावली तहसील राहतगढ जिला सागर	सदस्य	ट्रस्टी
13	सुरेन्द्र सिंह राजपूत पिता नथूसिंह निवासी ग्राम बामोरा थाना बहेरिया तहसील व जिला सागर	सदस्य	ट्रस्टी
14	महेश साहू पिता गिरधारी साहू निवासी महेश दाल मिल मोतीनगर वार्ड थाना मोतीनगर तहसील व जिला सागर	सदस्य	ट्रस्टी
15	राजबिहारी पिता सीताराम ठाकुर निवासी ग्राम बामोरा थाना बहेरिया तहसील व जिला सागर	सदस्य	ट्रस्टी
16	विकास यादव पिता फूलसिंह यादव निवासी ग्राम गढपहरा मुहाल थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	सदस्य	ट्रस्टी

अध्यक्ष अशोक सिंह बामोरा पिता महेन्द्र सिंह निवासी बामोरा तहसील व जिला सागर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 10.08.2021 के तहत निष्पादित कर ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। ट्रस्ट प्रस्ताव के साथ म0प्र0 सिद्ध क्षेत्र श्री देव हनुमान जी मंदिर गढपहरा धाम समिति सागर के बोर्ड की रूप रेखा, कार्य, ट्रस्ट नियमावली प्रस्तुत की गयी है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 26/10/2021 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी।

पेशी दिनांक 26/10/2021

जारी दिनांक 02/09/2021

(G-1794)

सपना त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज,
जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 1190-रीडर-न्यास-2022

गौहरगंज, दिनांक 14 अक्टूबर 2022

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के
नियम 5(1) के अंतर्गत

समक्ष:- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट गौहरगंज जिला रायसेन मध्यप्रदेश।

जैसा कि आवेदक श्री कृष्ण धाम सेवा न्यास मंडीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

उत्तद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 14.10.2022 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति संस्था जो ट्रस्ट में या ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करे अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

::अनुसूची::

ट्रस्ट का नाम:- श्री कृष्ण धाम सेवा न्यास मंडीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट म.प्र.।

कार्यालय का पता राधाकृष्ण मंदिर परिसर सेठ फूलचन्द नगर बार्ड क्रमांक 1 मंडीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट म.प्र.।

अचल सम्पत्ति का विवरण:- निरंक

चल सम्पत्ति:- नगद राशि रुपये 11000.00 रुपये (ब्यारह हजार रुपये मात्र) जमा।

(G-1795)

आदित्य शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर,
जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

राजस्व प्र. क्र. 0001-बी-113(1)-2022-23

राजपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2022

:: फार्म नंबर-चार ::
(मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत)

:: नोटिस ::

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष

आवेदक श्री सुमेरसिंह सोलंकी, निवासी बलगांव अध्यक्ष, श्री सुमेरसिंह सोलंकी द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत शिव धाम मंदिर ट्रस्ट बलगांव के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 21-9-2022 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है ।

(G-1796)

वीरसिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

कार्यालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जावरा,
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र. 3874-रीडर-3-22

जावरा, दिनांक 22 अगस्त 2022

फार्म - 4

(नियम 5(1) देखीये)

म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अर्धनियम 1951 की धारा 5(2) के तहत

आवेदक मुनि श्री डॉ संयमरत्न विजय, निवासी फोलावास जैन मंदिर के पास जालोर राजस्थान द्वारा धारा 4(2) म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 27/09/2022 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02:30 बजे की जावेगी।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 27/09/2022 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हावें। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण //

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---------------------------------------|
| (1) | न्यास का पुरा नाम | - | श्री संयम राज परमार्थिक ट्रस्ट, जावरा |
| (2) | चल सम्पत्ति का विवरण | - | नगद धनराशि रूपये 10500 /- |
| (3) | अचल सम्पत्ति का विवरण | - | निरंक |

(G-1797)

हिमांशु प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला सिवनी

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1603.

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2022

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित लखनादीन पं०क्र० 864 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/821 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित लखनादीन पं०क्र० 864 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम०के०बांडाल पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।
यह आदेश दिनांक 08.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1798)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1604.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित अहरवाडा पं०क्र० 830 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/822 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित अहरवाडा पं०क्र० 830 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर०एस०सरैया पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।
यह आदेश दिनांक 08.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1799)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1605.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार अंकुर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 पहाडी पं0क्र0 875 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/823 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी अंकुर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 पहाडी पं0क्र0 875 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1799)-A

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1606.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 छपारा पं0क्र0 955 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/824 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 छपारा पं0क्र0 955 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री श्री एन0डी0कटरे पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1800)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1607.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क0 958 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/825 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क0 958 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1801)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1608.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार वसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 मालीवाडा पं0क0 1051 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/826 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी वसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 मालीवाडा पं0क0 1051 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1802)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1609.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बजराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बोधिया पं0क0 1054 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/827 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्त के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी बजराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बोधिया पं0क0 1054 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1803)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1610.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 खैरपलारी पं0क01055 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/828 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्त के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 खैरपलारी पं0क0 1055 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री नेहा मर्त्सकोले पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1804)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1611.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार मॉ बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मर्यादित 1057 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/829 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 28.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी मॉ बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मर्यादित 1057 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1805)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1612.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रज्ञा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित छिडिया पलारी 1059 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/830 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 28.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार प्रज्ञा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित छिडिया पलारी 1059 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1806)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1613.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वोदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बिठली पं0क0 1061 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/832 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्ध-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार सर्वोदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बिठली पं0क0 1061 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1807)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1614.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार किसान विकास बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 झुरकी पं0क0 1062 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/833 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्ध-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी किसान विकास बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 झुरकी पं0क0 1062 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1808)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1615.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कातलबोडी पं0क0 1063 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/834 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कातलबोडी पं0क0 1063 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0डी0तंतुदाय पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

इस आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1809)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1616.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार चंद्रवंशी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कान्दान पिपरिया पं0क0 1064 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/835 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी चंद्रवंशी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कान्दान पिपरिया पं0क0 1064 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0डहेरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

इस आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1810)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1617.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 दरबई पं0क0 1065 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/836 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 दरबई पं0क0 1065 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एन0डी0कटरे पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

सह-आदेश आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1811)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1618.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 गंगपुर पं0क0 1066 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/837 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 गंगपुर पं0क0 1066 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

सह-आदेश आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1812)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1619.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बम्होडी पं०क्र० 1067 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/838 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्त के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बम्होडी पं०क्र० 1067 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।
पहले अधिसूचना आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1813)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1620.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पिण्डरई पं०क्र० 1068 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/839 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्त के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पिण्डरई पं०क्र० 1068 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0 बैक पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।
पहले अधिसूचना आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1814)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1621.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री वर्नी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्याद फर्रुदा पं0क्र0 1069 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य ब्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/840 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें श्री वर्नी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्याद फर्रुदा पं0क्र0 1069 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0डी0तंतुवाय पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 28.09.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1815)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1622.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्याद बोरीकला पं0क्र0 1070 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य ब्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/841 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्याद बोरीकला पं0क्र0 1070 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस.के.राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 28.09.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1816)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1623.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार नवीन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कोसमी पं0क्र0 1071 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/842 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी नवीन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कोसमी पं0क्र0 1071 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापन में लाया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1817)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1624.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार शिवाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 जाम पं0क्र0 1073 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/843 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी शिवाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 जाम पं0क्र0 1073 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0डी0तंतुबाय पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापन में लाया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1818)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1625

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित दुल्हापुर पं0क्र0 1074 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/844 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्दह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित दुल्हापुर पं0क्र0 1074 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1819)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1626.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया पं0क्र0 1076 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/845 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्दह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया पं0क्र0 1076 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आकाश अहके पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1820)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1627.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदर्श बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित रुपुरा पं0क्र0 1077 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/846 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 28.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी आदर्श बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित रुपुरा पं0क्र0 1077 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

प्रह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1821)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1628.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार भूमि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित तिनडुआ पं0क्र0 1080 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/849 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 28.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी भूमि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित तिनडुआ पं0क्र0 1080 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयान पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

प्रह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1822)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1629.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार महाकौशल अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 देहवानी पं0क्र0 1079 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/848 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी महाकौशल अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 देहवानी पं0क्र0 1079 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1823)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1630.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार भूमि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 तिनडुआ पं0क्र0 1080 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/849 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी भूमि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 तिनडुआ पं0क्र0 1080 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1824)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1631.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार गुरुनानक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बखारी पं0क्र0 1081 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/850 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी गुरुनानक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बखारी पं0क्र0 1081 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेत भूयवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1825)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1632.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित जनमखारी पं0क्र0 1082 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/851 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित जनमखारी पं0क्र0 1082 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1826)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1633.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार कालमैरव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 आदेगांव पं0क0 1083 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/852 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी कालमैरव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 आदेगांव पं0क0 1083 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एन0डी0कट्टेर पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1827)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1634.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार विकास प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 अंतरा पं0क0 1084 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/853 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी विकास प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 अंतरा पं0क0 1084 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आकाश अहकै पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1828)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1635.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार दिव्या बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 छिन्दग्वार पं0क0 1085 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/854 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी दिव्या बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 छिन्दग्वार पं0क0 1085 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 28.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1829)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1636.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार महावीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 खामी पं0क0 1086 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/855 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी महावीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 खामी पं0क0 1086 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0झारिया पदनाम अंकेक्षण अधिकारी सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 28.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1830)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1637.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदिशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 मेहराबोडी पं0क0 1087 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/856 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग को अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी. दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी आदिशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 मेहराबोडी पं0क0 1087 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0डी0तंतुवाय पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1831)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1638.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार भक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 दांढीवाडा. पं0क0 1088 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/857 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी. दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी भक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 दांढीवाडा. पं0क0 1088 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0डी0तंतुवाय पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1832)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1639.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार ओम साईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 केसला पं0क्र0 1089 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/858 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः अस्फल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी ओम साईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 केसला पं0क्र0 1089 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1833)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1640.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार इरिओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 जेवनारा पं0क्र0 1090 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/859 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी इरिओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 जेवनारा पं0क्र0 1090 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आकाश अहले पदनाम उप अंकेक्षण सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1834)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1641.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार ओम साई राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित लूधरवाडा पं0क्र0 1091 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/860 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी ओम साई राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित लूधरवाडा पं0क्र0 1091 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाओं सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1835)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1642.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित खामखरेली पं0क्र0 1093 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/862 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-98-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित खामखरेली पं0क्र0 1093 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1836)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1643.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार देवी अनुपा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बंडोल पं0क्र0 1095 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/863 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्डह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी देवी अनुपा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 बंडोल पं0क्र0 1095 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1837)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1644.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कलबोडी पं0क्र0 1096 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/864 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्डह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या0 कलबोडी पं0क्र0 1096 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री टी0बैंक पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1838)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1645.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार पारसमणी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी मंडार मर्या0 सिवनी पं0क्र0 730 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/865 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी पारसमणी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी मंडार मर्या0 सिवनी पं0क्र0 730 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमति शिवानी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1839)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1646.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार गुरुनानक महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी मंडार मर्या0सिवनी पं0क्र0 656 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/866 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी गुरुनानक महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी मंडार मर्या0सिवनी पं0क्र0 656 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमति शिवानी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1840)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1647.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार तिलक महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी मंडार मर्या0सिवनी पं0क्र0 844 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/867 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी तिलक महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी मंडार मर्या0सिवनी पं0क्र0 844 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमति शिवानी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1841)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1648.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या0 बिछुआ पं0क्र0 381 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/868. सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या0 बिछुआ पं0क्र0 381 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1842)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1649.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार हाथकरघा बुनकर उद्योग सिलाई प्रशिक्षण सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 969 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/869 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी हाथकरघा बुनकर उद्योग सिलाई प्रशिक्षण सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 969 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमति शिवानी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1843)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1650.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या0 नागदहार पं0क्र0 880 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/870 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या0 नागदहार पं0क्र0 880 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एन0डी0कटरे पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1844)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1651.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार जागृति मत्स्य सहकारी समिति मर्या0 भरदा पं0क्र0 893 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/871 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी जागृति मत्स्य सहकारी समिति मर्या0 भरदा पं0क्र0 893 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम0के0बांझल पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1845)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1652.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या0 धूमा पं0क्र0 867 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/872 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या0 धूमा पं0क्र0 867 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1846)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1653.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित खिरखिरी पं0क्र0 350 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/873 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित खिरखिरी पं0क्र0 350 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1847)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1654.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार जागृति लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 जेवनारा पं0क्र0 992 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/874 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी जागृति लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 जेवनारा पं0क्र0 992 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1848)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1655.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 जनमखारी पं0क0 993 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/875 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 जनमखारी पं0क0 993 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ०९.०९.२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1849)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1656.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 धपारा पं0क0 995 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/876 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 धपारा पं0क0 995 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ०९.०९.२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1850)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1657-

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 खूंट पं0क0 996 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/877 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 खूंट पं0क0 996 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापन नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1851)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1658.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार साईं कृपा लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 अंखीवाडा पं0क0 998 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/878 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी साईं कृपा लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 अंखीवाडा पं0क0 998 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आकाश अहके पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापन नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1852)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1659.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम विकास लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादो मोहगांव पं0क्र0 999 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/879 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर नय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी ग्राम विकास लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादो मोहगांव पं0क्र0 999 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।



(G-1853)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1660.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार अनमोल लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादो केकडई पं0क्र0 1002 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/880 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर नय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी अनमोल लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादो केकडई पं0क्र0 1002 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आकाश अहके पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1854)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1661.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदर्श लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 साल्हेखुर्द पं0क्र0 1003 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/881 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी आदर्श लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 साल्हेखुर्द पं0क्र0 1003 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0डी0तंतुवाय पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1855)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1662.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार ऋचा लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 खामी पं0क्र0 1004 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/882 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी ऋचा लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 खामी पं0क्र0 1004 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आकाश अहके पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1856)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1663.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार साक्षी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सिहोरा पं0क0 1008 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/883 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकाराखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करना है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी साक्षी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सिहोरा पं0क0 1008 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम0के0डांडल पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1857)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1664.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 नाचनवाही पं0क0 1009 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/884 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकाराखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 नाचनवाही पं0क0 1009 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1858)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1665.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार विकास महिला लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सिंगपुर पं0क0 1010 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/885 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी विकास महिला लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सिंगपुर पं0क0 1010 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0 राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1859)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1666.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आनंद लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 खुरसीपार पं0क0 1011 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/886 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी आनंद लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 खुरसीपार पं0क0 1011 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0 राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1860)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1667.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 रेचना पं0क्र0 1012 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/887, सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 रेचना पं0क्र0 1012 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1861)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1668.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 भलवेली पं0क्र0 1013 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/888 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 भलवेली पं0क्र0 1013 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0उत्तरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1862)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1669.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 गोरखपुर पं0क0 1014 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/889 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 गोरखपुर पं0क0 1014 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0ए0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1863)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1670.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 झितर्रा पं0क0 1016 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/890 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 झितर्रा पं0क0 1016 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0ए0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1864)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1671.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित उगदीवाडा पं0क्र0 1027 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/891 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित उगदीवाडा पं0क्र0 1027 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0ए0स0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

मध्य अक्षर आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1865)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1672.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार नवोदित प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित धांवरी पं0क्र0 1026 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/892 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी नवोदित प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित धांवरी पं0क्र0 1026 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0ए0स0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

मध्य अक्षर आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1866)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1673.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 चांदनखेडा पं0क0 1024 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/893 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 चांदनखेडा पं0क0 1024 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0ए0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को पश्चिममार्गक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1867)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1674.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 खापा पं0क0 1023 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/894 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 खापा पं0क0 1023 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री नेहा नर्सकोले पद उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को पश्चिममार्गक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1868)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1675.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति नर्या0 बंदेली पं0क0 1022 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/895 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति नर्या0 बंदेली पं0क0 1022 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0र0स0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

मध्य प्रदेश, आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1869)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1676.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति नर्या0 गहरुटोला पं0क0 1020 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/896 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति नर्या0 गहरुटोला पं0क0 1020 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री जै0क0डहेरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

मध्य प्रदेश, आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1870)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1677.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदर्श वन लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 कुकलाह पं0क0 1019 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/897 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी आदर्श वन लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 कुकलाह पं0क0 1019 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक ०६.०६.२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1871)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1678.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सोनखार पं0क0 1015 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/898 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी .. प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सोनखार पं0क0 1015 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक ०६.०६.२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1872)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1679.


(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 बागडौंगरी पं0क्र0 1030 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/899 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर नय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 बागडौंगरी पं0क्र0 1030 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।



(G-1873)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1680.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 बिछुआ पं0क्र0 1029 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/900 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर नय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 बिछुआ पं0क्र0 1029 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।



(G-1874)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1681.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 बुधवारा पं0क्र0 1028 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/901 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 बुधवारा पं0क्र0 1028 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0ए0अ0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1875)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1682.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 चुरनाटोला पं0क्र0 1031 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/902 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 चुरनाटोला पं0क्र0 1031 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0इ0हरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1876)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1683.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित पौनारकला पं0क्र0 1034 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/903 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्ध-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित पौनारकला पं0क्र0 1034 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आकाश अहले पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापन के नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश, अजमेर दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1877)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1684.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित धारनाकला पं0क्र0 1033 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/904 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्ध-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित धारनाकला पं0क्र0 1033 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आकाश अहले पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापन के नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश, अजमेर दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1878)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1685.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार महालक्ष्मी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्याद घंसीर पं0क्र0 1032 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/905 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी. दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी महालक्ष्मी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्याद घंसीर पं0क्र0 1032 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1879)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1686.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्याद चिमनाखारी पं0क्र0 1035 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/906 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी. दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्याद चिमनाखारी पं0क्र0 1035 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1880)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1687.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 पिपरिया पं0क0 1036 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/907 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, निगम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 पिपरिया पं0क0 1036 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री टी0बी0क पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

मध्य प्रदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1881)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1688.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार जनकल्याण प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 मोहगांव पं0क0 1040 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/908 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी जनकल्याण प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 मोहगांव पं0क0 1040 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

मध्य प्रदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1882)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1689.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार युगांतर प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 बुढेनाखुर्द पं0क्र0 1045 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/909 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी युगांतर प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 बुढेनाखुर्द पं0क्र0 1045 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी सहकारी निरीक्षक सिवनी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1883)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1690.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार विकास प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 मानेगावखुर्द पं0क्र0 1042(जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/910 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी विकास प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 मानेगावखुर्द पं0क्र0 1042 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी सहकारी निरीक्षक सिवनी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1884)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1691.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 केशलाकला पं0क्र0 1043 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/911 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 केशलाकला पं0क्र0 1043 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1885)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1692.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 उडेपानी पं0क्र0 1044 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/912 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 उडेपानी पं0क्र0 1044 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0डडेरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1886)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1693.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 मुंडरई प0क0 1037 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/913 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 मुंडरई प0क0 1037 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0डडेरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

मह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1887)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1694.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 टाला प0क0 1025 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/914 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 टाला प0क0 1025 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरैयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

मह आदेश आज दिनांक 08.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1888)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1695.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार धनलक्ष्मी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित पिंडरईखुर्द पं0क0 1039 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/915 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित पिंडरईखुर्द पं0क0 1039 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1889)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1696.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार धनलक्ष्मी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित खमरियारैयत पं0क0 1021 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/916 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी धनलक्ष्मी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित खमरियारैयत पं0क0 1021 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0डहेरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1890)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1697.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्याद करकोटी पं0क्र0 1038 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/917 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्याद करकोटी पं0क्र0 1038 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0डहेरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ०८.१०.२०२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1891)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1698.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्याद मेहरापिपरिया पं0क्र0 1041 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/918 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्याद मेहरापिपरिया पं0क्र0 1041 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0डहेरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ०८.१०.२०२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1892)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1699.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला सिवनी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क0 1018 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/919 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी जिला सिवनी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क0 1018 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री शिवाजी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1893)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1706.

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2022

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70 (1)के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला स्टेशनर्स एवं बाईडिंग सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क0 108 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/920 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी जिला स्टेशनर्स एवं बाईडिंग सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क0 108 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1894)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1707.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी; सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार इंदिरा महिला औद्योगिक सहकारी समिति भयां0 सिवनी पं0क्र0 612 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन अंतरण बताने सूचना पत्र क्रमांक /उपंससि/परिसमापन/22/921 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अपना उत्तर मध्य राज्य प्रमाण सहित अयोहरताकरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताने सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधे कालित होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई राक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है; स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पद्वह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाये सिवनी इंदिरा महिला औद्योगिक सहकारी समिति भयां0 सिवनी पं0क्र0 612 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू पदनाम उप अंकेक्षण सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाये गुधने को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 28/10/22 का मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1895)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1708.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बस स्थापक परिवहन प्रबंधन सहकारी समिति भयां0 सिवनी पं0क्र0 865 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन अंतरण बताने सूचना पत्र क्रमांक /उपंससि/परिसमापन/22/922 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अपना उत्तर मध्य राज्य प्रमाण सहित अयोहरताकरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताने सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधे कालित होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई राक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है; स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पद्वह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाये सिवनी बस स्थापक परिवहन प्रबंधन सहकारी समिति भयां0 सिवनी पं0क्र0 865 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू पदनाम उप अंकेक्षण सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाये सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 28/10/22 का मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1896)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1709.

म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार म0प्र0 सड़क परिवहन व्ही0आर0एस0 कर्मचारी सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 863 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/923 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर नय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी म0प्र0 सड़क परिवहन व्ही0आर0एस0 कर्मचारी सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 863 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ-सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1897)

क्र. उपंससि-परिसमापन-22-1710.

म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार जगदम्बा समृद्धि विद्युत आपूर्ति सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 873 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/924 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर नय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी जगदम्बा समृद्धि विद्युत आपूर्ति सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 873 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएँ सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1898)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1711.

आदेश

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार वैजाली सिविल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 942 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। सहायक दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करना एवं विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/925 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मध्य साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी वैजाली सिविल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 942 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू पदनाम उप अंकेक्षण सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1899)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1712.

आदेश

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार मानव सेवा संवर्धन एवं समाज सांस्कृतिक शिक्षण अंतर्गत प्रशिक्षण व सत्संग सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 943 (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/926 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मध्य साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी मानव सेवा संवर्धन एवं समाज सांस्कृतिक शिक्षण अंतर्गत प्रशिक्षण व सत्संग सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 943 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू पदनाम उप अंकेक्षण सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1900)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1713.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार जन कल्याण सहकारी समिति मर्या0 खापा पं0क्र0 944 विकासखंड धनोरा जिला सिवनी (जिससे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/927 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः अक्षम रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी जन कल्याण सहकारी समिति मर्या0 खापा पं0क्र0 944 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री सुप्रिया जैन पदनाम सहकारी निरीक्षक, सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1901)

क्र. उपसंसि-परिसमापन-22-1714.

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1)के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार भोगली पंच वर्कस सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 947 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिससे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/928 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः अक्षम रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी भोगली पंच वर्कस सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 947 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू, पदनाम उप अंकेक्षण सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1902)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1715

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1)के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सिल्वर क्लब सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सहकारी समिति मर्गा0 सिवनी पं0क्र0 948 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिससे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/929 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मण साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहरताकारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उचित निर्धारित समयसमय व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का सर्वधान करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

असाध्य म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-4-28-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी सिल्वर क्लब सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सहकारी समिति मर्गा0 सिवनी पं0क्र0 948 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू, पदनाम उप अकेक्षण सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को पारिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया

(G-1903)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1716

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार राजस्थानी महिला सहकारी समिति मर्गा0 सिवनी पं0क्र0 949 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिससे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/930 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मण साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहरताकारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उचित निर्धारित समयसमय व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का सर्वधान करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

असाध्य म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-4-28-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी राजस्थानी महिला सहकारी समिति मर्गा0 सिवनी पं0क्र0 949 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू, पदनाम उप अकेक्षण सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को पारिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया

(G-1904)

क्र.-उपससि-परिसमापन-22-1717

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार विनायक स्टेशनरी सहकारी समिति ग्यां0 सिवनी पं0क0 950 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपससि/परिसमापन/22/931 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मध्य साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी विनायक स्टेशनरी सहकारी समिति ग्यां0 सिवनी पं0क0 950 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एल0एन0साहू, पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1905)

क्र.-उपससि-परिसमापन-22-1718

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार हमारा दपतर हमारा घर सहकारी समिति ग्यां0कलेक्टर रोड सिवनी पं0क0 951 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपससि/परिसमापन/22/932 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मध्य साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी हमारा दपतर हमारा घर सहकारी समिति ग्यां0कलेक्टर रोड सिवनी पं0क0 951 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0क0झारिया, पदनाम अंकेक्षण अधिकारी सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1906)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1719


(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार हमारा दफ्तर हमारा घर साख सहयोग साहूलियत सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 952 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/933 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अपोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समायावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है । स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्राक्धानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अशिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी हमारा दफ्तर हमारा घर साख सहयोग साहूलियत सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 952 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0झारिया पदनाम अंकेक्षण अधिकारी सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।



(G-1907)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1720

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजुकेशन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 953 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/934 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अपोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समायावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है । स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्राक्धानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग को अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अशिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजुकेशन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 953 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0झारिया पदनाम अंकेक्षण अधिकारी सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1908)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1721

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1)के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/ 2022 / 21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बैनगंगा शक्तिपुंज सहकारी समिति मर्यादो खापाबाजार पं0क0 954 विकासखंड केवलारी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/ 22/ 935 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मध्य साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहरताकारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवादी व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्डह-1 सी दिनांक 28.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार बैनगंगा शक्तिपुंज सहकारी समिति मर्यादो खापाबाजार पं0क0 954 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1909)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1722

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1)के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/ 2022 / 21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार स्वतंत्र युवा शक्ति संगठन सहकारी समिति मर्यादो सिवनी पं0क0 956 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/ 22/ 936 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मध्य साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहरताकारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवादी व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्डह-1 सी दिनांक 28.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार स्वतंत्र युवा शक्ति संगठन सहकारी समिति मर्यादो सिवनी पं0क0 956 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0आरिया पदनाम अंकेक्षण अधिकारी सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1910)

क्र.-उपंससि-परिसमापन-22-1723

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार रिलवे सहकारी समिति मर्या0 बरघाट प0क0 957 विकासखंड बरघाट जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपससि/परिसमापन/22/937 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं न.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार रिलवे सहकारी समिति मर्या0 बरघाट प0क0 957 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1911)

क्र.-उपंससि-परिसमापन-22-1724

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार संरक्षण सांस्कृतिक पुरातत्व एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी प0क0 959 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपससि/परिसमापन/22/938 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं न.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार संरक्षण सांस्कृतिक पुरातत्व एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी प0क0 959 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0झारिया पदनाम अंकेक्षण अधिकारी सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1912)

क्र.—उपसंसि—परिसमापन—22—1725

(न0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार न्यू महावीर व्यायाम शाला सहकारी समिति मर्याद बलारपुर पं0क्र0 960 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को न0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/939 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव न0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार न्यू महावीर व्यायाम शाला सहकारी समिति मर्याद बलारपुर पं0क्र0 960 को न0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1913)

क्र.—उपसंसि—परिसमापन—22—1726

(न0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार दिव्य प्रेम महिला सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 963 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को न0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/940 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव न0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार दिव्य प्रेम महिला सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 963 को न0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0धारिया पदनाम अंकेक्षण अधिकारी सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1914)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1727

म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 02 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार गोंडवाना दौंदी पहाड़ जन सेवा सहकारी समिति मर्यादित मिचोडोला पाथरफोडी प0क0 968 विकासखंड बरघाट जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/941 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है। संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार गोंडवाना दौंदी पहाड़ जन सेवा सहकारी समिति मर्यादित मिचोडोला पाथरफोडी प0क0 968 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0के0राठी पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश आज दिनांक 16.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1915)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1728

म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सूचना तकनीकी सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिवनी प0क0 967 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/942 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार सूचना तकनीकी सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिवनी प0क0 967 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री सौ0के0राठिया पदनाम अंकेक्षण अधिकारी सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश आज दिनांक 16.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1916)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1729

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 33 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार दलित उत्थान सिविल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 968 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसमें आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/943 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार दलित उत्थान सिविल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 968 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमति शिवानी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश राज दिनांक 13.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1917)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1730

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 33 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सम्यक जन स्वास्थ्य कल्याण सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सहयोग सहभागिता सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 970 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसमें आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/844 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार सम्यक जन स्वास्थ्य कल्याण सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सहयोग सहभागिता सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 970 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमति शिवानी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश राज दिनांक 13.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1918)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1731

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960) की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार लक्ष्मी महिला शक्ति पुंज बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्याद बरेलीपार पं0क्र0 971 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/945 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्डह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सिवनी अनुसार लक्ष्मी महिला शक्ति पुंज बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्याद बरेलीपार पं0क्र0 971 सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 970 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0डहेरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी, परिसमापक कार्यालय उप सहकारी संस्थाएं सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश आज दिनांक 18.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1919)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1732

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960) की धारा 69 (2) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार दलित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 972 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/946 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्डह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सिवनी अनुसार दलित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 972 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमति दिवानी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थाएं सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश आज दिनांक 18.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1920)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1733

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार अरण्य चिकित्सा वन परिक्षेत्र सहकारी समिति मर्याद धूम पं0क्र0 973 विकासखंड लखनादौन जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/947 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार अरण्य चिकित्सा वन परिक्षेत्र सहकारी समिति मर्याद धूम पं0क्र0 973 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम0के0बांझल पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1921)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1734

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार महावीर व्यायाम शाला सहकारी समिति मर्याद केवलारी पं0क्र0 974 विकासखंड केवलारी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/948 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार महावीर व्यायाम शाला सहकारी समिति मर्याद केवलारी पं0क्र0 974 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर0एस0सरेयाम पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1922)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1735

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सतपुड़ा जैविक खाद उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 975 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिस आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/949 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार सतपुड़ा जैविक खाद उत्पादन सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 975 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमति शिवानी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1923)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1736

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रयास श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 976 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिस आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/950 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल को और से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार प्रयास श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 976 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमति शिवानी ताराम पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1924)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1766

सिवनी, दिनांक 18 अगस्त 2022

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार महिला कामगार एवं श्रम शैका सहकारी समिति मर्या0 छपारा पं0क्र0 977 विकासखंड छपारा जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/951 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्ध-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार महिला कामगार एवं श्रम शैका सहकारी समिति मर्या0 छपारा पं0क्र0 977 विकासखंड छपारा को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री टी0बेक पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1925)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1767

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार यश महिला स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 981 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/955 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्ध-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार यश महिला स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 981 विकासखंड सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री टी0बेक पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1926)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1768

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदर्श मिटटी तेल हाकर्स एवं पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 982 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/956 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार आदर्श मिटटी तेल हाकर्स एवं पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 982 विकासखंड सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन से लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री टी0बेक पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 18.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1927)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1769

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 980 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/954 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 980 विकासखंड सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री टी0बेक पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 18.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1928)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1770

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार नवशक्ति महिला सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 979 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/953 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार नवशक्ति महिला सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 979 विकासखंड सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री टी0बेक पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापन नियुक्त करता हूँ।

यह आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1929)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1771

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आजाद हिन्द जन कल्याण सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 978 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/952 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार आजाद हिन्द जन कल्याण सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 978 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री टी0बेक पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापन नियुक्त करता हूँ।

यह आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1930)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1772

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदिवासी श्रमिक रेत एवं खनिज कामगार सहकारी समिति मर्याद टेंटमा पं0क0 983 विकासखंड बरघाट जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/957 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार आदिवासी श्रमिक रेत एवं खनिज कामगार सहकारी समिति मर्याद टेंटमा पं0क0 983 विकासखंड बरघाट को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस0डी0तंतुवाय पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय में सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया

गया।

(G-1931)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1773

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सहेली गृह उद्योग नेटवर्क मार्केटिंग सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क0 984 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/958 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार सहेली गृह उद्योग नेटवर्क मार्केटिंग सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क0 984 विकासखंड सिवनी का म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री टी0बेक पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय में सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया

गया।

(G-1932)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1774

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार आदर्श बेरोजगार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 संगई पं0क्र0 985 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/959 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार आदर्श बेरोजगार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 संगई पं0क्र0 985 विकासखंड सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री वाणी विलास शर्मा पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1933)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1775

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बेरोजगार दलित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 लूधरवाडा पं0क्र0 986 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/960 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार बेरोजगार दलित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 लूधरवाडा पं0क्र0 986 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री वाणी विलास शर्मा पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1934)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1776

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 03 वर्षों को अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार नवचेतना महिला बहु0 अ0जा0/अ0ज0जा0/शक्तिपुंज सहकारी समिति मर्या0 आमई पं0क0 987 विकासखंड लखनादौन जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/961 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार नवचेतना महिला बहु0 अ0जा0/अ0ज0जा0/शक्तिपुंज सहकारी समिति मर्या0 आमई पं0क0 987 विकासखंड लखनादौन को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम0के0बांझाल पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1935)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1777

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी को 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार त्रिमूर्ति श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 भैरोंगंज पं0क0 988 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/962 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार त्रिमूर्ति श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 भैरोंगंज पं0क0 988 विकासखंड सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री वाणी विलास शर्मा पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1936)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1778

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सेवा सरस्वती विकलांग सहकारी समिति मर्यादित पं०क्र० 989 विकासखंड लखनादौन जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/963 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार सेवा सरस्वती विकलांग सहकारी समिति मर्यादित पं०क्र० 989 विकासखंड लखनादौन को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम0के0बांझल पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1937)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1779

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार उजाला सहकारी समिति मर्यादित पं०क्र० 990 विकासखंड घंसीर जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/964 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार उजाला सहकारी समिति मर्यादित पं०क्र० 990 विकासखंड घंसीर को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री वाणी विलास शर्मा पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1938)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1780

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार नर्मदा निर्माण सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 994 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/965 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार नर्मदा निर्माण सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 994 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री वाणी विलास शर्मा पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1939)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1781

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार बैनगंगा श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 छपारा पं0क्र0 1000 विकासखंड छपारा जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/966 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार बैनगंगा श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 छपारा पं0क्र0 1000 विकासखंड छपारा जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एन0डी0कटरे पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आज दिनांक 28.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1940)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1782

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार संजीवनी सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 1001 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/967 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार संजीवनी सहकारी समिति मर्याद सिवनी पं0क्र0 1001 विकासखंड सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री वाणी विलास शर्मा पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1941)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1783

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुसूचित जाति श्रम ठेका सहकारी समिति मर्याद छपारा पं0क्र0 1005 विकासखंड छपारा जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/968 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार अनुसूचित जाति श्रम ठेका सहकारी समिति मर्याद छपारा पं0क्र0 1005 विकासखंड छपारा जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एन0डी0कटरे पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1942)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1784

आपरा

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार कम्प्यूटर एजुकेशन एंड डेव्लेवमेंट सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1006 विकासखंड व जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/969 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार कम्प्यूटर एजुकेशन एंड डेव्लेवमेंट सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1006 विकासखंड व जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री वाणी विलास शर्मा पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय में सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश आज दिनांक 18.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

गया।

(G-1943)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1785

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुसूचित जाति/अ0ज0जा0 श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1007 विकासखंड व जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/970 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयवाधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार अनुसूचित जाति/अ0ज0जा0 श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1007 विकासखंड व जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री वाणी विलास शर्मा पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय में सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश आज दिनांक 19.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

गया।

(G-1944)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1786

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सहयोग साख एवं कल्याण सहकारी समिति मर्या0 सिवनी (राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के सहयोग से गठित जिला स्तरीय क्रेडिट सोसायटी) पं0क्र0 1017 विकासखंड सिवनी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/971 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार अनुसार सहयोग साख एवं कल्याण सहकारी समिति मर्या0 सिवनी (राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के सहयोग से गठित जिला स्तरीय क्रेडिट सोसायटी) पं0क्र0 1017 विकासखंड सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम0डी0बांडल पदनाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1945)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1787

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार पिछडा विकास श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1046 विकासखंड व जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/972 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार पिछडा विकास श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1046 विकासखंड व जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम0डी0बांडल पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया

गया।

(G-1946)

क्र.-उपंससि-परिसमापन-22-1788

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार उन्नति महिला बोरा बोरी कय विकय सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1047 विकासखंड व जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/973 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्ध-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार उन्नति महिला बोरा बोरी कय विकय सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1047 विकासखंड व जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री नेहा मर्सकोले पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।
इस आदेश आरंभ दिनांक 18.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1947)

क्र.-उपंससि-परिसमापन-22-1789

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार सहयोगी अ0जा0 महिला श्रमिक कल्याण एवं निर्माण सहकारी समिति मर्या0घंसौर नागाबाबा पं0क्र0 1048 विकासखंड केवलारी जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/974 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्ध-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार सहयोगी अ0जा0 महिला श्रमिक कल्याण एवं निर्माण सहकारी समिति मर्या0घंसौर नागाबाबा पं0क्र0 1048 विकासखंड केवलारी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री नेहा मर्सकोले पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।
इस आदेश आरंभ दिनांक 18.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1948)

क्र.-उपंससि-परिसमापन-22-1790

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार ओम नर्सरी सहकारी समिति मर्या0 कोहका पं0क्र0 1049 विकासखंड व जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/975 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार ओम नर्सरी सहकारी समिति मर्या0 कोहका पं0क्र0 1049 विकासखंड व जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री नेहा मर्सकोले पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 18.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1949)

क्र.-उपंससि-परिसमापन-22-1791

आदेश

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार मानव सेवा सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1050 विकासखंड व जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है । पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंससि/परिसमापन/22/976 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय है एवं उन्हें संस्था में कोई रूचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है । ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार मानव सेवा सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1050 विकासखंड व जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री नेहा मर्सकोले पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 18.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1950)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1792

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार गैस उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1053 विकासखंड व जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/977 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार गैस उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1053 विकासखंड व जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत सुश्री नेहा मसकोले पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1951)

क्र.-उपसंसि-परिसमापन-22-1793

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार गोल्डी महिला जागृति सिलाई एवं कढ़ाई उद्योग सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1127 विकासखंड व जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/978 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार गोल्डी महिला जागृति सिलाई एवं कढ़ाई उद्योग सहकारी समिति मर्या0 सिवनी पं0क्र0 1127 विकासखंड व जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम0के0बांडल पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1952)

क्र.—उपसंसि—परिसमापन—22—1794

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार कामगार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 धनककडी पं0क0 761 विकासखंड लखनादौन जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/979 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार नियम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार कामगार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या0 धनककडी पं0क0 761 विकासखंड लखनादौन को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एम0के0बांझल पदनाम सहकारी निरीक्षक सिवनी कार्यालय उप सहकारी संस्था सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15-08-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1953)

क्र.—उपसंसि—परिसमापन—22—1795

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /अंकेक्षण/2022/21 सिवनी दिनांक 07.04.2022 द्वारा जिला सिवनी की 03 वर्षों की अकार्यशील समितियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सहायक पंजीयक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार रानी दुर्गावती फेब्रिकेशन सहकारी समिति मर्या0 धनककडी पं0क0 761 विकासखंड ब जिला सिवनी (जिसे आगे संस्था कहा गया है) अकार्यशील समितियों की सूची में शामिल है। पंजीयन दिनांक से संस्था द्वारा अपनी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यापार प्रारंभ न करने एवं विगत तीन वर्ष से अकार्यशील होने के कारण संस्था के संचालक मंडल को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपसंसि/परिसमापन/22/980 सिवनी दिनांक 13.04.2022 जारी किया गया था तथा संबंधित विकासखंड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर संस्था के संचालक मंडल से अपेक्षा की गई थी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर मय साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किन्तु संस्था के संचालक मंडल द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों को उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संस्था के संचालक मंडल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न करना एवं उपस्थित न होना यह प्रदर्शित करता है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं एवं उन्हें संस्था में कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था सदस्यों के हितों का संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी अनुसार रानी दुर्गावती फेब्रिकेशन सहकारी समिति मर्या0 धनककडी पं0क0 761 विकासखंड ब जिला सिवनी को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी0के0डहेरिया पदनाम उप अंकेक्षक सिवनी, कार्यालय उप सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15-08-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1954)

क्र.-उपंससि-परिसमापन-22-1806

सिवनी, दिनांक 23 अगस्त 2022

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत)

मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या अतरिया पं.क्रं. 860 दिनांक 31.10.2009 (जिसे आगे केवल संस्था कहा जावेगा) तसील घंसौर जिला सिवनी का पंजीयन इस कार्यालय द्वारा किया गया था। कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/395/म./तक./सह./2022-23 सिवनी दिनांक 12.05.2022 द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उप संचालक मत्स्योद्योग सिवनी द्वारा संदर्भित पत्र के साथ जांच प्रतिवेदन अन्य दस्तावेज प्रेषित किये गये है। उप संचालक मत्स्य उद्योग सिवनी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि संस्था सहकारी अधिनियम 1960 व नियम 1962, पंजीकृत उपविधियाँ एवं मत्स्य नीति एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है।

अतः उप संचालक मत्स्य उद्योग सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंसि/विधि/परि/2022/1453 सिवनी दिनांक 20.07.2022 के द्वारा समिति के संचालक मंडल सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा सुनवाई दिनांक 05.08.2022 नियत की गयी। सुनवाई दिनांक 05.08.2022 को संस्था के संचालक मंडल/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता 6 सदस्य उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा अपना कथन दर्ज कराया गया कि संस्था का अध्यक्ष स्वयं लाभ ले रहा है। सदस्यों को कोई लाभ एवं रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिये पंजीयन निरस्त किया जावे।

संस्था के संचालक मंडल की ओर किसी का उपस्थित नहीं होना एवं जवाब प्रस्तुत न करना यह प्रदर्शित करता है कि संचालक मंडल निष्क्रिय एवं उदासीन है तथा संस्था सदस्यों के आरोप सही है। इसके साथ ही उप संचालक मत्स्य द्वारा समिति का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। इसलिये संस्था को प्रथमतः परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह/1/सी दिनांक 26/07/1999 एवं म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम", उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी, मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या अतरिया पं.क्रं. 860 दिनांक 31.10.2009 को परिसमापन में लाकर म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के तहत श्री वाणी विलास शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थायें सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जा रहा है।

(G-1955)

क्र.-उपससि-परिसमापन-22-1854

सिवनी, दिनांक 31 अगस्त 2022

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

प्रति

संचालक मंडल (समस्त सदस्य)

नागरिक सहकारी साख समिति मर्या. सिवनी

द्वारा :- अध्यक्ष, नागरिक सहकारी साख समिति मर्या. सिवनी पं.क्र 919
विकासखंड व जिला सिवनी

जरिये एतद सूचना पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नागरिक सहकारी साख समिति मर्या. सिवनी पं.क्र 919 के विगत वर्षों अंकेक्षकों द्वारा आडिट नोट में अकार्यशील बताया गया तथा संस्था का वर्ष 2020-21 का अंकेक्षण श्री एल.एन.साहू उप अंकेक्षक द्वारा किया जाकर अंकेक्षण द्वारा आडिट नोट में संस्था को अकार्यशील बताया जाकर संस्था को परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से अपने उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तथा संस्था अकार्यशील है। संस्था की उपविधियों के प्रावधानुसार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अभी तक कोई कार्य प्रारंभ न करने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय है। ऐसी स्थिति में संस्था के बने रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः क्यों न नागरिक सहकारी साख समिति मर्या. सिवनी पं.क्र 919 को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापन नियुक्त कर दिया जावे।

अतएव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं "अखिलेश कुमार निगम" उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी नागरिक सहकारी साख समिति मर्या. सिवनी पं.क्र 919 को यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर साक्ष्य प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आप आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह अभिनिर्धारित किया जावेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा प्रस्तावित कार्यवाही से आप सहमत है। तदानुसार संस्था को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारी अधिनियम की धारा 70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 31.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-1956)

अखिलेश कुमार निगम, उप पंजीयक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2022—कार्तिक 6, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)